झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 31 राँची, बुधवार

8 श्रावण 1936 (श०)

30 जुलाई, 2014 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 233-239

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक "अ" ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

23 जुलाई, 2014

संख्या-13/वरीय नि0 सं0-30/2014 का0- 7399--श्री रमेन्द्र नाथ राय, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुमका को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीश श्रेणी में प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण करने की तिथि से रू 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है।

2. श्री राय की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 1 अगस्त, 2008 है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुमन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना

24 जुलाई, 2014

संख्या-3/नि0सं0-09-24/2014 का. 7488--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री मोहित मुक्ति मंजर, भूमि सुधार उप समाहर्ता, नगर उटारी, गढ़वा को दिनांक 9 जनवरी, 2014 से 3 मार्च, 2014 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुमन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना
28 जुलाई, 2014

संख्या-13/वरीय नि0 सं0-29/2013 का0- 7554--श्री भोला प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चाईबासा को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीश श्रेणी में की तिथि से रू 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है।

2. श्री प्रसाद की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की प्रभावी तिथि 1 जुलाई, 2004 है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुमन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना
28 जुलाई, 2014

संख्या-13/वरीय नि0 सं0-29/2013 का0- 7557--श्री मृत्युंजय महातो, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुमका को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीश श्रेणी में प्रोन्नति के फलस्वरूप योगदान की तिथि से रू 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) के वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है।

2. श्री महातो की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की प्रभावी तिथि 1 जुलाई, 2004 है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुमन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना

28 जुलाई, 2014

संख्या-13/वरीय नि0 सं0-08/2014 का0- 7559--श्री अवधेश कुमार मिश्रा, न्यायायुक्त-VII-सह-विशेष न्यायाधीश-I, (ए०एच०डी० स्कैम), सी०बी०आई०, राँची को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण करने की तिथि से रू 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) के वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है।

2. श्री मिश्रा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 27 सितम्बर, 2012 है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुमन कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

वित्त विभाग

संकल्प

15 जुलाई, 2014

विषय:- लोक सभा/विधान सभा चुनाव के दरम्यान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को नक्सली/उग्रवादी हिंसात्मक घटनाओं/दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु/अपंगता की स्थिति में अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान की (Ex-gratia Lump-SumCompensation) अनुमान्य राषि के संषोधन के संबंध में।

संख्या- वि०प्र०-5/अनुग्रह अनुदान-185/2006/282/बजट--केन्द्रीय निर्वाचन आयोग भारत सरकार के पत्र संख्या-218/6/2014/EPS, दिनांक 25 मार्च, 2013 के आलोक में मंत्रिमडण्ल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-2996, दिनांक 22 अप्रैल, 2014 के द्वारा वित्त विभाग के संकल्य संख्या-376, दिनांक 1 नवम्बर, 2006 में संशोधन हेतु अनुरोध किया गया है।

2. उक्त संकल्प द्वारा लोक सभा/विधान सभा चुनाव के दरम्यान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को नक्सली/उग्रवादी हिंसात्मक घटनाओं/दुर्घटना से आाकस्मिक मृत्यु/अपगंता/अपहरण की स्थिति में अनुग्रह अनुदान (Ex-gratia Lump-SumCompensation) राशि स्वीकृत करने का प्रावधान है, जिसे निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

(i) लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं/दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में कर्मी के परिजनों को भुगतान की जानेवाली न्यूनतम राशि के रूप में 10.00 (दस) लाख रूपये की राशि का भुगतान किया जाएगा।

(ii) लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन के दौरान यदि उग्रवादी/असामाजिक तत्वों के हिंसात्मक कृत्यों के कारण दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु जो लैण्ड माईन्स, बम विस्फोटो, सशस्त्र हमलों आदि द्वारा घटित होती है, तो मुआवजे की राशि 20.00 (बीस) लाख मात्र होगी।

(iii) लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन के दौरान नक्सली/उग्रवादी हिंसात्मक घटनाओं/दुर्घटना से स्थायी विकलांगता जैसे कि Limb, दृष्टि आदि की हानि के मामले में कर्मी को एक अधिकतम अनुग्रह अनुदान की राशि रूपये 10.00 (दस) लाख दी जाएगी एवं घटना में विकलांगता की अन्य स्थिति में मुआवजा की राशि निम्नवत होगी:-

- 05% से अधिक परन्तु 20% तक की विकलांगता मुआवजा राशि 1.00 (एक) लाख रूपये
- 20% से अधिक परन्तु 25% तक की विकलांगता मुआवजा राशि 2.00 (दो) लाख रूपये
- 25% से अधिक परन्तु 50% तक की विकलांगता मुआवजा राशि 6.00 (छः) लाख रूपये
- 50% से अधिक परन्तु 75% तक की विकालांगता मुआवजा राशि 8.00 (आठ) लाख रूपये
- 75% से अधिक परन्तु 100% तक की विकालांगता मुआवजा राशि 10.00 (दस) लाख रूपये

3. सक्षम पदाधिकारी द्वारा लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन से संबधित कार्य पर लगाए गए सभी व्यक्ति उपरोक्त प्रावधानों से आच्छादित होंगे, जैसे कि पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, दण्डाधिकारी, चैकीदार, आरक्षी कर्मी, गृह रक्षक, केन्द्रीय सुरक्षा बलों के सदस्य इत्यादि।

4. उपरोक्त अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबधित जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अनुशंसा पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल (निर्वाचन) विभाग द्वारा की जाएगी। विकलांगता के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

5. इस मद में होनेवाला व्यय निम्न तालिका के अनुसार विकलनीय होगा:-

लोक सभा आम निर्वाचन हेतु	**विधान सभा आम निर्वाचन हेतु**
मांग सख्या-06-निवार्चन मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन लघु शीर्ष-105-संसद का चुनाव कराने के लिए प्रभार उप शीर्ष-01-लोक-सभा का आम निर्वाचन विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 15-कार्यालय व्यय **(विपत्र कोड-06N201500105010315)**	मांग सख्या-06-निवार्चन मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन लघु शीर्ष-106-राज्य विधानमण्डल का निवार्चन कराने के लिए प्रभार उप शीर्ष-01-राज्य विधान-सभा का आम निर्वाचन विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 15-कार्यालय व्यय **(विपत्र कोड-06N201500106010315**)
लोक सभा उप निर्वाचन हेतु	**विधान सभा उप निर्वाचन हेतु**
मांग सख्या-06-निवार्चन मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन लघु शीर्ष-105-संसद का चुनाव कराने के लिए प्रभार उप शीर्ष-02-लोक-सभा का उप निर्वाचन विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 15-कार्यालय व्यय **(विपत्र कोड-06N201500105020315)**	मांग सख्या-06-निवार्चन मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन लघु शीर्ष-106-राज्य विधानमण्डल का निवार्चन कराने के लिए प्रभार उप शीर्ष-03-राज्य विधान-सभा का उप निर्वाचन विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय 15-कार्यालय व्यय **(विपत्र कोड-06N201500106030315)**

6. यदि किसी कर्मी को अन्य कोई मुआवजा/अनुग्रह अनुदान अपने पैतृक विभाग से दिया जाना है तो उक्त राशि को घटाकर जो राशि शेष होगी, वही देय होगी । उदाहरणस्वरूप-

(i) राज्य कर्मियों को अनुग्रह क्षतिपूत्रि अनुदान स्वरूप वित्त विभाग के संकल्प सं0-1192/वि0, दिनांक-11 जून, 2011 द्वारा यदि 10.00 लाख रूपये का भुगतान होता है तो अनुमान्य राशि में से उक्त राशि को घटाकर शेष राशि देय होगी।

(ii) केन्द्रीय पुलिस बल को यदि केन्द्र से अनुग्रह अनुदान स्वरूप 7.5 लाख रूपये देय है, तो उक्त राशि को घटाकर शेष राशि देय होगी।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं0- 376, दिनांक 4 नवम्बर, 2006, 290/वि0, दिनांक 29 जून, 2010 एवं प्रस्तुत विषय से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी संकल्प विलोपित समझे जायेंगे।

8. लोकसभा चुनाव, 2014 के दौरान घटित घटनाएँ भी इन प्रावधानों से आच्छादित होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अमरेन्द्र प्रताप सिंह,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 31–50 ।